घटते हुए लिंगानुपात पर प्रस्तावित राज्य नीति

Resource Centre
ActionAid, Lucknow

सीमित वितरण हेतु

actionaid

दिसम्बर, 2013

सम्पादन : डा0 रूपरेखा वर्मा

अनुवाद : अवंतिका श्रीवास्तव
अजय शर्मा
शिल्पी तिवारी

सहयोग : देबब्रत पात्रा
मनीषा भाटिया

प्रकाशक : एक्शनएड, लखनऊ

सहयोग : DFID/IPAP

नोट : यह पुस्तिका साझी दुनिया द्वारा एक्शनएड के सहयोग से विभिन्न सामाजिक संगठनों के विचार-विमर्श के उपरान्त तैयार की गई प्रस्तावित राज्य नीति (अंग्रेजी) का हिन्दी अनुवाद है।

घटते हुए लिंगानुपात पर प्रस्तावित राज्य नीति

(प्रस्तावित राज्य नीति, गैर सरकारी संगठनों, महिला समूहों, नागरिकों और विशेषज्ञों से व्यापक विचार-विमर्श कर के साझी दुनिया द्वारा तैयार किया गया है)

भारत की आबादी से लड़कियों और महिलाओं की घटती संख्या का दुश्चक्र

उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात लगातार घट रहा है अर्थात् प्रति 1000 हजार बालकों पर बालिकाओं की संख्या बराबर की न होकर घट रही है। 2001 में उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 916 था, अर्थात् प्रति 1000 बालकों पर 916 बालिकायें थीं, लेकिन यह संख्या 2011 में घटकर 899 रह गई। यानि एक दशक में 17 अंकों की गिरावट हुई, जो कि राष्ट्रीय औसत 914 से 15 अंक नीचे है। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड और जम्मू-कश्मीर के साथ उत्तर प्रदेश भी सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में बालिका लिंगानुपात मात्र 834.59 रहा। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, और झांसी बाल लिंगानुपात में सबसे नीचे के जिले हैं। बालिका लिंगानुपात की सबसे ऊंची दर चन्दौली जिले में दिखाई देती है। इसके बाद बलरामपुर और संतकबीर नगर का स्थान है। बालिकाओं के सुनियोजित खात्में से आज जनसंख्या से वह करोड़ों बच्चियाँ और महिलायें गायब हैं, जो जिन्दा रह सकती थीं। अनुमान भिन्न हो सकते हैं, लेकिन यह तय है कि 37 से 50 मिलियन महिलायें पूरी जनसंख्या से गायब हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा महिला/पुरूष और बाल लिंगानुपात मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार दीप समूह और पांडुचेरी में रही। उत्तर प्रदेश को बाल लिंगानुपात के मामले में 6 सबसे निचले प्रान्तों का दर्जा हासिल है। बिहार और उड़ीसा बाल लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश से बेहतर हैं।

घटता लिंगानुपात महिलाओं के बुनियादी अधिकारों एवं संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, और भेदभाव के निषेध पर केन्द्रित हैं। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार की

गारन्टी दी गई है, जिसको विस्तारित करके उसमें सम्मानजनक जीवन के लिए स्वतंत्रता, सुरक्षा और सशक्त करने वाले वातावरण को शामिल किया गया है। चिंताजनक बात यह है कि जीवित रहने के अधिकार को बढ़ते समय के साथ इस व्यापक अर्थ में सुनिश्चित् करना तो दूर, लड़कियों के लिए मात्र जीवित रहना ही एक बड़ी समस्या हो गई है।

अगर कुदरत या प्रकृति में इन्सान दखल न दे और परिस्थितियाँ समान हों तो 100 लड़कों पर 1000 से कुछ ज्यादा ही लड़कियाँ होनी चाहिए। क्योंकि बालिका गुणसूत्र (क्रोमोजोम) ज्यादा मजबूत होते हैं। यह साफ है कि कुछ गैर प्राकृतिक कारण बच्चियों को जन्म लेने या अस्तित्व में बने रहने से रोक रहे हैं। सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि प्राकृतिक कारण इसकी वजह नहीं है, बल्कि पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों के कारण पुत्रों को महत्व दिया जाता है और पुत्रियों को भार समझा जाता है और उन्हें कमतर माना जाता है। इस कारण लड़कियाँ अवांच्छित, उपेक्षित व वंचित बना दी जाती हैं। एक बच्ची के खिलाफ जन्म से पहले और जन्म के बाद भी बड़े पैमाने पर भेदभाव होता है। गर्भावस्था में लिंग का पता लगाकर उसे खत्म करना गैर कानूनी होने के बावजूद बड़े पैमाने पर प्रचलित है। अगर कोई बच्ची जन्म ले लेती है तो तरह-तरह के अभावों और उपेक्षाओं (भोजन, इलाज, देखभाल सम्बन्धी उपेक्षा) के चलते एक लड़के की तुलना में लड़की के बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मृत्युदर के आकंड़ों से पता चलता है कि बच्चियों की मृत्युदर बालकों की मृत्युदर से बहुत ज्यादा है। यह दोनों कारण (बालिका गर्भ खत्म करना और पैदा होने के बाद की देखभाल में कमी) जो पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रह के नतीजे हैं, बच्चियों की संख्या कम करने में कारगर साबित होते हैं।

इस प्रवृत्ति को ठीक करने के लिए दोनों स्तरों पर कार्यवाही जरूरी है। एक तरफ पीसी/पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से, बिना किसी समझौते के लागू करना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ मजबूत और कारगर उपायों द्वारा बालिकाओं और महिलाओं के प्रति सभी तरह के भेदभाव को रोकना भी जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है बालिकाओं-महिलाओं को सशक्त-सामान्य अधिकारपूर्ण नागरिक के रूप में समृद्ध करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।

यह सच नही है कि पुत्रों की लालसा सिर्फ गरीब या अनपढ़ लोगों में ही होती है। यह सोच सभी तरह के सामाजिक और आर्थिक स्तरों पर मौजूद है। पीसी/पीएनडीटी एक्ट का क्रियान्वयन

सख्ती से नहीं किया जाता। कानून को तोड़ने वाली क्लीनिकों पर दण्ड नहीं के बराबर है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण भी ठीक से नहीं है। अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक बड़ी तेजी और व्यापक रूप से फैल रही हैं। विभिन्न अध्ययनों से बढ़ती अल्ट्रासाउण्ड मशीनों और घटते लिंगानुपात के बीच सम्बन्धों का पता चलता है। उनके पंजीकरण और अन्य आंकड़ों की जांच बहुत ढीली-ढाली है। कानून व अन्य नियमों के विपरीत अयोग्य व्यक्ति इन क्लीनिकों में काम कर रहे हैं और वार्षिक रिर्पोट आदि प्रस्तुत करने के दूसरे नियमों का भी ठीक से पालन नहीं हो रहा है। इन सभी गैर कानूनी कामों के खिलाफ कार्यवाही बहुत धीमी और अपर्याप्त तरीके से की जाती है। समाज सेवी संस्थायें भी कानून तोड़ने वाली क्लीनिकों के खिलाफ सीधे टकराव नहीं ले पाती और आज उनकी आवाज लिंगानुपात के खिलाफ एक आन्दोलन का रूप लेने में सक्षम नहीं हैं।

जहाँ तक महिलाओं के सशक्तीकरण का सम्बन्ध है, ज्यादातर योजनायें सिर्फ प्रतीकात्मक ही रह जाती हैं। महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के सम्बन्ध में कानून प्रभावी रुप से लागू नहीं किया जाता है। इन कानूनों के क्रियान्वयन में शामिल एजेंसियाँ महिला विरोधी पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं तथा न्याय में देरी और अनावश्यक जटिलता के चलते ज्यादातर महिलायें अदालती प्रक्रिया के बीच ही टूट जाती हैं। संसाधनों पर महिलाओं का स्वामित्व या मालिकाना अभी भी बहुत कम है, और यही उन्हें दूसरों पर निर्भर बनाता है। संक्षेप में, महिलाओं को सशक्त और अधिकारों से युक्त नागरिक बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है और जब तक यह सब नहीं किया जाता, तब तक बेटियों से ज्यादा बेटों की चाहत बरकरार रहेगी और लड़के-लड़कियों से ज्यादा मूल्यवान माने जाते रहेंगे। इसी परिदृश्य को देखते हुए घटते हुए लिंगानुपात पर एक राज्य नीति की जरूरत है, जिससे इस प्रवृत्ति को बदला जा सके।

नीतिगत सिद्धान्त

सन्दर्भ : राज्य नीति के प्रारूप के निर्धारण में एक केन्द्रीय मुद्दा है महिलाओं की सक्रिय कर्ता के रूप में पहचान और मानवाधिकारों तक उनकी पहुँच और उपयोग। घटता लिंग अनुपात इस बात का सूचक है कि महिलाओं को यह पहचान और अधिकारों तक पहुंच अभी तक नहीं मिल पाई है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए कानून, नीति और कार्यक्रमों को इस तरह बनाना पड़ेगा कि समस्या के मूल कारणों का निवारण हो सके। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्वों के कारण लिंगानुपात का मुद्दा भी बहुत जटिल हो जाता है। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए हमें गतिशील और बहुआयामी कदम उठाने पड़ेंगे। लिंगचयन अपराध कानूनों के अलावा हमें उन तमाम कारणों को भी पहचानना होगा, जिनके कारण लोग बेटियों को अनचाहा मानते हैं।

मानवाधिकार आधारित प्रारूप की पहचान

महिलाओं के प्रजनन सम्बन्धी मानवाधिकारों और निर्णय की स्वतंत्रता के सन्दर्भ में सबसे जरूरी बात यह है कि नीचे लिखी बातें बिना किसी समझौते के पूरी तरह लागू हों :

- महिलाओं की स्वायत्तता और निर्णय लेने का अधिकार।
- प्रजनन अधिकारों के सन्दर्भ में सेवाओं तक पहुंच हो, जिसमें सुरक्षित गर्भपात, प्रसव से पहले व बाद की देखभाल एवं सेवायें शामिल हैं।
- सभी मानवाधिकारों को प्राप्त करने में संस्थागत व सांस्कृतिक बाधाओं को हटाना।

मानवाधिकार के स्वरूप को समझने में यह शामिल हो कि...

- अधिकारों को मान्यता और वैधता प्राप्त हो।
- सभी आधिकार-कर्ता इनका प्रयोग सभी संदर्भों में अच्छी तरह कर सकें।
- उन सभी परिस्थितियों में जहाँ अधिकारों का हनन हुआ है, न्याय सुनिश्चित हो।
- ऐसा वातावरण बनाया जाये कि लोगों को अपने अधिकार बिना किसी देरी के प्रगतिशील तरीके से मिल सकें।

- जो लोग अधिकारों को समान्य जन को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी भूमिका भी केन्द्रीय है, क्योंकि सभी संदर्भों में अधिकारों की रक्षा करने के लिए उनकी जवाबदेही बनती है।

प्रमुख तत्व

"महिला अधिकार मानवाधिकार हैं" का नारा इस बुनियादी सच्चाई पर आधारित है कि मानवाधिकार-विमर्श में महिलाओं और बच्चियों को पूरी तरह से बराबर का जीवन जीने का अधिकार और आजादी को समान पहचान और राजनीतिक भागीदारी नहीं दी गई। इस नारे को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया कि सरकार और संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नई और गहरी प्रतिबद्धता के साथ औरतों के अधिकार सुनिश्चित करें।

इसके अलावा, मानवाधिकारों के गतिशील स्वभाव के कारण समाज के विभिन्न हिस्से अपने अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुनिश्चित करने में कामयाब हुए हैं। इस गतिशीलता से मानवाधिकारों का प्रारूप समृद्ध हुआ है, जिससे हाशिये के लोगों को भी इस प्रारूप में जगह मिली है। इस प्रारूप में विभिन्न स्थितियों और सन्दर्भों का विश्लेषण सम्भव है जिससे हाशिये के लोगों के अधिकार हनन के सन्दर्भ स्पष्ट हों और उनके अधिकारों की रक्षा की नीतियां बन सकें।

राज्य का कर्त्तव्य है कि वह एक ऐसी नीति बनाये जिससे महिलाओं को प्रजनन तथा शारीरिक विकल्पों पर खुद फैसला करने का अधिकार मिल सके। महिलाओं को इन विषयों में निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा तो बाल लिंग अनुपात भी बेहतर हो जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई प्रतिज्ञाओं या वायदों विशेषतः सीडा के अनुच्छेद 12 के जीआर 24 के पैरा 31 के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह-

1. परिवार नियोजन और यौन शिक्षा के माध्यम से आवांछित गर्भ रोकने को प्राथमिकता दे और सुरक्षित मातृत्व सेवाओं और प्रसव से पहले की सेवाओं के माध्यम से माता की मृत्यु दर को कम करे, जहाँ संभव हो, गर्भपात के कानून में महिलाओं पर लगाये गये दंडात्मक प्रावधानों को हटाने के लिये संशोधन करें।
2. स्वास्थ्य सेवाओं के समान उपयोग और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये गैर सरकारी

और निजी संगठनों द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करे।

3. सभी स्वास्थ्य सेवाओं को महिलाओं के मानवाधिकारों के अनुरूप बनाये, जिसमें स्वायत्तता, निजता, गोपनीयता, जानकारी पर आधारित सहमति इत्यादि शामिल हैं,
4. स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं के स्वास्थ्य व मानवाधिकारों पर विस्तृत और अनिवार्य पाठ्यक्रम शामिल करें।

संवैधानिक वायदे

हमारे देश का संविधान सभी नागरिकों को न्याय, स्वतन्त्रता, और समानता का वचन देता है और भाईचारे व गरिमा को बढ़ावा देता है। यहाँ राजनीतिक सिद्धान्तों को परिभाषित करने का ढांचा मिलता है, यह सरकारी संस्थानों की बनावट, प्रक्रियाओं, अधिकारों और कर्तव्यों का प्रारूप सुनिश्चित करता है और नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को दर्ज करता है। साथ ही महिलाओं समेत कुछ अन्य वर्गों के प्रति इतिहास में अन्याय को दृष्टिगत रखते हुए संविधान में एक अधिक समतापरक और समावेशी राष्ट्र के निर्माण में मदद के लिए सकारात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है।

अधिकार धारकों के रूप में महिलाओं की पहचान करते हुए संविधान उनकी नागरिकता को स्थापित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि महिलायें नागरिकता के सभी पहलुओं का उपभोग कर सकें। अधिकार धारक के रूप में और उनमें मातृत्व की सम्भावना को देखते हुऐ उनके प्रजनन सम्बन्धी अधिकार भी बनते हैं। चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम इस तरह के अधिकार को स्वीकार करता है। इसलिए नागरिक के रूप में महिलाओं की संवैधानिक मान्यता उनके प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों के बिना सम्भव नहीं है। इन अधिकारों को दूसरों (पति, सहभागी, परिवार, समुदाय) की इच्छानुसार निरस्त नही किया जा सकता।

विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान

1. महिलाओं सहित सभी नागरिकों को समानता का दर्जा। {अनुच्छेद- 14}
2. जाति, धर्म, वर्ग, वंश, लिंग, जन्मस्थान, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी तरह के भेदभाव की मनाही {अनुच्छेद- 15 (1)}

3. लिंग, वंश, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थान या संस्थान के प्रयोग पर रोक या शर्तों की मनाही {अनुच्छेद-15 (2)}।

4. महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उनके कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए राज्यों को संस्तुति {अनुच्छेद-15(3)}।

5. नौकारियाँ या रोजगार देने में किसी नागरिक के साथ भेदभाव की मनाही {अनुच्छेद-16(क)}

6. महिलाओं व पुरूषों के बीच बिना कोई भेदभाव किये नागरिकों को जीवन की आधारभूत जरूरतों की पूर्ति मुहैया कराने की नीति लागू करना राज्य के लिए जरूरी {अनुच्छेद-39(ए)}

7. महिलाओं व पुरूषों के बीच बिना किसी भेदभाव के समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति लागू करना राज्य का कर्तव्य,

8. राज्य द्वारा नागरिकों को ऐसी मानवीय स्थितियाँ उपलब्ध कराना कि वह अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें और महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ की व्यवस्था करने हेतु राज्य को निर्देश {अनुच्छेद-42}

9. लोगों के बीच सदभाव और भाईचारे को बढ़ावा देना और महिलाओं से जुड़े सभी अपमानजनक रिवाजों को खत्म करने के लिए राज्य को निर्देश {अनुच्छेद-51 (ए) और (ई)}

10. पंचायतों के प्रत्यक्ष चुनाव में कुल सीटों की कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए (अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं समेत) आरक्षित रखने का प्रावधान {अनुच्छेद-243 डी (3)}।

11. पंचायत के सभी स्तरों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत) पर अध्यक्षीय पदो की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करना। {अनुच्छेद-243 डी (4)}

12. शहरी नगर पालिकाओं में जहाँ प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, महिलाओं के लिए (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं सहित) कुल सीटों का कम से कम एक तिहाई आरक्षित करना {अनुच्छेद-243 (टी)3}

13. नगर पालिकाओं के अध्यक्षीय पदों में महिलाओं के लिए (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित की महिलाओं सहित) आरक्षण की व्यवस्था हेतु राज्य विधायिका द्वारा बनाये गये नियमों का पालन।

घटते बाल लिंगानुपात में संतुलन हेतु नीतिगत संस्तुतियाँ

बालिकाओं को समृद्ध बनाएं

बाल लिंगानुपात में असंतुलन की जड़ें समाज और संस्कृति में बहुत गहरी हैं और आधुनिक समय में जीवन में परिवर्तनों व तकनीकी से यह और भी बढ़ा है। इसके निदान हेतु नीति बनाते समय बहुत से कारणों को चिन्हित् करने की जरूरत है। नीति निर्माताओं के लिए यह बड़ी चुनौती है। अभी तक सुझाये गये निदान बहुत से हैं, कुछ लोग बालिका भ्रूण खत्म करने के लिए तकनीक के गलत इस्तेमाल को ही मुख्यतः दोषी मानते हैं तो दूसरे लोग स्त्री विरोधी संस्कृति ओर रिवाजों को। इन सभी विचारों का महत्व है। इस विषय में बनाई गई नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कारणों की पहचान कितनी सही है और कितनी गहराई से समझी गई है और नीति में सुझाये गये निदान कितने कारगर हैं। सिर्फ तत्कालिक कारणों पर ध्यान देने से सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि अधिक गहरे कारण इस विषय में उठाये गये कदमों को नाकाम कर देते हैं। हलांकि इसके कुछ सकारात्मक परिणाम जरूर मिलते हैं। पीसी और पीएनडीटी एक्ट इसका एक उदाहरण है। इस तरह के अधिनियम और उसके प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत स्पष्ट रूप से है। हमारे पास महत्वपूर्ण प्रमाण हैं कि इस अधिनियम के अभाव में बाल लिंगानुपात की स्थिति और भी खराब होती। लेकिन यह भी सही है कि इन कानून से बाल लिंगानुपात में असंतुलन पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकी है। दूसरे गहरे कारण जैसे संस्कृति, परम्परा और मानसिकता इसके प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा पैदा करते हैं। अगर इस कानून को मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और ईमानदारी के साथ लागू किया गया होता तो भी बाल लिंगानुपात पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। इस बात के प्रमाण हैं कि सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर पाई जाने वाली परम्पराओं के कारण बालिका आवान्छित ही बनी रहेगी।

इसलिए कुछ लोग इस समस्या के निदान के लिए दूसरे छोर को ही पकड़ लेते हैं और सिर्फ संस्कृति और मानसिकता के बदलाव को ही महत्व देते हैं। समस्या यह है कि संस्कृति और मानसिकता बदलने के लिए कोई प्रभावी और समयबद्ध तरीका नहीं है, विशेष रूप से वह जो सदियों पुराने हैं और जिनकी गहरी पैठ बन चुकी है। इस विषय में सबसे कारगर तरीका यह होगा

कि सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों के भौतिक आधारों को कमजोर किया जाये और सिर्फ लोगों के दिल बदलने का इन्तजार न किया जाये। सामान्यतः मानसिकता बदलने के लिये सिर्फ शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे अभियान नाकाफी मालूम देते हैं। अधिक मजबूत ओर ठोस उपायों की जरूरत है, हालाँकि इस मुद्दे पर जागरूकता अभियान से विचारों में बदलाव और पैरोकारी की भी जरूरत है। इसके अलावा ठोस भौतिक स्तर पर बालिका के सशक्तीकरण को भी प्राथमिकता देनी होगी। मतलब यह कि हमे कई तरह के उपाय एक साथ अपनी नीति में शामिल करने होंगे : पीसी और पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू करना, जागरूकता अभियान, पैरोकारी और महिला का पूर्ण अधिकारयुक्त नागरिक के रूप में सशक्तीकरण।

ऐसा करने के लिए जो नीति बने उसे इन बिन्दुओं पर ध्यान देना होगा :

बेटों की ज्यादा चाहत

बेटों की ज्यादा चाहत के भौतिक आधार वह परम्परायें ओर समाज के कायदे हैं, जिनमें विरासत का अधिकार बेटों को ही देना (यानि कि विरासत लड़को से ही कायम होना मानना), शादी के बाद लड़की का अपने माँ-बाप का घर छोड़कर पति के घर जाने का रिवाज, बेटों से ही वंश की कल्पना करना, बुढ़ापे में या किसी और संकट में माँ-बाप की जिम्मेदारी बेटे की ही होना, कुछ निश्चित कर्मकाण्डों (विशेष रूप से माँ-बाप की मौत से सम्बन्धित संस्कारों) का बेटों द्वारा ही किया जाना शामिल है। लगातार एकल परिवारों का चलन बढ़ने के कारण माता-पिता की बुढ़ापे में देखभाल वाला तर्क धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन बेटों को अधिक महत्व देने के दूसरे कारण निकट भविष्य में भी मजबूत बने रहने की सम्भावना है।

बेटियाँ न होने की चाहत

इसे बेटों की अधिक चाहत से अलग विषय के रूप में देखा जाना चाहिये। बेटियों के अनचाहा होने का भौतिक आधार बेटियों के पालन पोषण में होने वाला खर्च है, जिसके अनरूप कोई लाभ नहीं मिलता, जैसा कि बेटों से होने की उम्मीद होती है। शादी के बाद बेटियों का मां-बाप का घर छोड़कर चले जाना और बेटी के माँ-बाप होने के कारण तमाम सन्दर्भों में सामाजिक हैसियत कम हो जाना भी बेटी की चाहत खत्म करने के आधार हैं। जिस तरह की बन्दिशों के बीच लड़की के

चरित्र को आंका जाता है, उनमें थोड़ी भी ढील हो जाने पर माता-पिता के लिये इज्जत का बड़ा झमेला खड़ा होने की सम्भावना से भी माँ-बाप को लड़की की ओर से सशंकित रहना पड़ता है और वह बोझ मालूम देती हैं।

जेण्डर असमानता और पितृसत्ता

बेटों की अधिक चाहत और बेटियों के प्रति उपेक्षा दोनो ही लैंगिक असमानता और पितृसत्ता की व्यापक संरचनाओं और विचारधारा का परिणाम है, लेकिन जेण्डर असमानता और पितृसत्ता का दायरा बेटों की चाहत और बेटियों की उपेक्षा से ज्यादा बड़ा है और इनके कई दूसरे परिणाम भी होते हैं। जेण्डर असमानता और पितृसत्ता के रूप और परिणाम इतने ज्यादा हैं कि उन्हें यहाँ पर ठीक से रखना सम्भव नहीं है। इस विषय पर साहित्य और नीति-विशेषज्ञों में बहुत चर्चा हुई है और बहुत कुछ लिखा गया है। यहाँ इसका उल्लेख मात्र यह बताने के लिए किया गया है कि बाल लिंगानुपात के असंतुलन के पीछे बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी एक विचारधारा और सामाजिक व्यवस्था या ढाँचे का हाथ है, जिस पर चोट पहुंचाये बिना इस समस्या का पूरा हल नहीं निकाला जा सकता।

छोटा परिवार : आज के आधुनिक समय में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीति आधारित विकास की विशेषताओं के परिणाम स्वरूप छोटे परिवारों का प्रचलन बढ़ा है। ऊपर बताए गए कारकों के प्रभाव से बेटियों के प्रति उपेक्षा की धारणा और प्रबल होती है। अगर कोई परिवार केवल दो बच्चों या एक बच्चे की योजना बनाता है, तो बेटी न पैदा हो इस बात का दबाव और भी बढ़ जाता है। यह उल्लेखनीय है कि महिला लिंगानुपात पहले बच्चे के जन्म की तुलना में दूसरे बच्चे के समय लगभग आधा हो जाता है (कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि तीसरे बच्चे के समय बाल लिंगानुपात 0.219 के स्तर तक कम पाया गया है)। लिंगानुपात में असंतुलन को ठीक करने के लक्ष्य की व्याख्या बड़े परिवारों को बढ़ावा देने के तौर पर नहीं की जा सकती, परन्तु छोटे परिवारों के इस अनापेक्षित प्रभाव को नीति निर्माताओं द्वारा अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए।

नीति के आयाम

नीति में इन तीन बातों को शामिल किया जाना चाहिए

1. **बच्चियों को खत्म करना बंद हो :** इसके लिए फौरन ही ठोस कदम उठाये जा सकते हैं। इस काम के दो भाग हैं :-

   (i) पैदा होने से पहले बच्चियों को खत्म करना बंद हो।

   (ii) पैदा होने के बाद भी बच्चियों को मारे जाने से रोका जाए।

2. **बच्चियों को समृद्ध करें :** यह नीति निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण और केन्द्रीय हिस्सा है, जिस पर पिछले बिन्दुओं की सफलता भी निर्भर करती है। यह मुख्य रूप से दो भागों में बाटा जा सकता है:

   (i) बच्चियों के पैदा होने और उनके पालन-पोषण के बोझ को कम करना और उन्हें संसाधनो की सहायता से पुरस्कृत करना।

   (ii) बच्चियों को जन्म देने और उनकी परवरिश के लिए नैतिक रूप से पुरस्कृत करना।

3. **पितृसत्ता के खिलाफ संघर्ष और लैंगिक समानता को बढ़ावा :** यह क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है और इसके लिए लम्बे समय की योजनाओं और काम की जरूरत है। इस क्षेत्र में लगातार कोशिश करना उपरोक्त दो प्रकार के कामों (बच्चियों को खत्म होने से रोकना और उन्हें समृद्ध करना) के लिए जरूरी है।

नीतिगत विशिष्ट सुझाव

1. **बेटियों को खत्म करना बन्द हो :**

   (i) बेटियों को पैदा होने से पहले ही खत्म करना बन्द हो।

   - यह सुनिश्चित हो कि गर्भधारण से पूर्व लिंग का चयन और भ्रूण की लिंग जांच न हो।
   - सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता स्वास्थ्य सेवाओं के जेंडर संवेदित प्रावधानों और जेण्डर समानता पर संवेदित व प्रशिक्षित किये जायें। वे गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान

तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) और गर्भ का चिकित्सीय समापन, 1971 (एम.टी.पी.) को लागू करने के लिए जिम्मेदार हों।

- लिंग चयन, लिंग निर्धारण और भ्रूण समाप्ति के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रजनन तकनीकों के प्रयोग की सख्त और सघन निगरानी हो। इन प्रजनन तकनीकों पर निगरानी पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट तथा अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप इस तरह होनी चाहिये कि इस निगरानी के कारण महिलाओं के प्रजनन अधिकारों तथा उनके व बच्चियों के स्वास्थ्य को किसी भी तरह नुकसान न पहुँचे।
- पीसी और पीएनडीटी एक्ट को लागू करने तथा दूसरी एजेन्सियों और संस्थाओं की निगरानी के लिए व्यापक कानूनी, संस्थागत तथा प्रशासकीय तंत्रों की व्यवस्था हो। न्यायपालिका और प्रशासनिक तंत्र का सम्वेदीकरण हो ताकि वह इस संबन्ध में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा पायें।
- गर्भावस्था, मां और बच्चे के पोषण का स्तर और बच्ची को जन्म देने की गरिमा के विषय पर पारिवारिक परामर्श दिया जाये।
- लिंग चयन के द्वारा गर्भ के समापन के खिलाफ मीडिया के माध्यम से सघन अभियान चलाया जाये।

2 बच्चियों को जन्म के बाद खत्म करना बंद हो

- कन्या शिशु हत्या के खिलाफ कानून को अधिक सख्ती से लागू किया जाये और इस सम्बन्ध में कानूनी ढांचे को और मजबूत बनाया जाये।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी जन्म पंजीकृत हों, बालिका शिशुओं की अच्छी तरह से देखभाल व सुरक्षा सुनिश्चित हो। इस काम के लिए कानूनी, संस्थागत और प्रशासनिक तंत्रों की स्थापना हो और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो।
- बालिका शिशु की तत्कालिक देखभाल (जन्म से 10 दिन तक), व नवजात बालिका की देखभाल (31वें दिन से 1 वर्ष तक) के लिए स्वास्थ्य सेवायें राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिये। बालिका शिशु की माता को जन्म देने के बाद से 1 साल तक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य की होनी चाहिये।

बालिकाओं को समृद्ध बनाया जाये

(i) बच्चियों के पैदा होने व उनके पालन-पोषण के बोझ को कम करना और उन्हे भौतिक रूप से सहायता देना :

क नीचे दिये गए उपायों से परिवार के लिए बालिकाओं का महत्व बढ़ाना-

- बच्चियों वाले परिवारों को लक्ष्यबद्ध वित्तीय सहायता।
- सोलह साल की उम्र तक बालिकाओं को पूर्ण स्वास्थ्य, पोषण, और शैक्षिक सहायता।
- बलिका शिशु के साथ उसके भाई को भी स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षिक सहायता।
- बच्चियों वाले परिवारों को परामर्श और अन्य सामाजिक मनोवैज्ञानिक सहायता।

ख परिवार में दो बेटियां होने पर उन्हें परिवार के लिए अधिक मूल्यवान बनाना-

- दूसरी बालिका शिशु के लिए भी उपरोक्त (क) के अनुसार सहायता देना।
- दो बालिकाओं वाले परिवार को विशेष दर्जा देते हुए आर्थिक सहायता दोगुनी करना और इस तरह के दूसरे कदम उठाना।

ग बालिका शिशुओं की माँ की विशेष देखभाल-

- माँ को अलग से आर्थिक सहायता दी जाये।
- माँ को स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं दी जाये।
- इस तरह के माता-पिता के लिए समुदाय में सम्मान कार्यक्रमों का आयोजन किये जाये।

घ 6 वर्ष से ऊपर की बालिकाओं की देखभाल की जाये-

- स्वास्थ्य और शिक्षा की सहायता जारी रखी जाये।
- रोजगार और कैरियर को प्रोत्साहन मिले।
- सिर्फ बालिका शिशु वाले परिवारों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले।
- उत्तराधिकार कानूनों की समीक्षा कर उन्हे लड़कियों और महिलाओं के हितों के

अनुकूल बनाया जाये और इन कानूनों का ठीक से पालन हो।

- बाल विवाह पर रोक सुनिश्चित हो।
- जीवन की योजनाओं के बारे में फैसला करने की आजादी को कारगर और प्रोत्साहित किया जाये,
- ऐसे विवाह को प्रोत्साहित किया जाये, जिसमें लड़की को अपना घर छोड़ कर न जाना पड़े।
- ऐसी लड़कियों की सहायता की जाये जो विवाह नहीं करना चाहती हैं,
- ऐसी लड़कियों के सम्मान हेतु कार्यक्रम किये जायें, जो आत्मनिर्भर हैं, रोजगार करती हैं और जीवन के फैसले खुद लेती हैं।

(ii) बालिका को जन्म देने और पालन पोषण करने के लिए नैतिक रूप से पुरस्कृत करना :

क) बालिकाओं वाले परिवारों को, खासतौर पर उनकी माताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना।

ख) ऐसे परिवारों का सामाजिक महत्व बढ़ाने के लिए मुहिम चलाना।

ग) शादी के बाद अपना घर छोड़कर जाने जैसी परम्परा का विरोध और ऐसे पतियों का सम्मान जो इस परम्परा को तोड़ते हैं।

घ) दहेज विरोधी कानून का सख्ती से पालन और विवाह में दिखावट को हतोत्साहित करना।

ङ) इन कार्यक्रमों और अभियानों के लिए मीडिया का प्रयोग करना।

पितृसत्ता के खिलाफ संघर्ष और जेण्डर समानता को बढ़ावा

यह बहुत विशाल क्षेत्र है और इस लक्ष्य को लम्बे समय तक काम करने के बाद ही पाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में नीतिगत बिन्दु बहुत व्यापक है और इनके बारे में विभिन्न स्तरों पर बहुत चर्चायें हो चुकी है। नीचे हम कुछ बातों का उल्लेख कर रहे हैं, जो इस विषय में सरकारी नीति में शामिल होनी चाहिए।

क) महिलाओं पर हिंसा खत्म करने के लिए नीतियों, कानूनों और संस्थागत उपायों को स्थापित और लागू करना।

ख) राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नियम और नीतियाँ बनाना और उन्हें लागू करना,

ग) महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ाने के लिए कानून, नीतियाँ और कार्यक्रम बनाना और उनका पालन करना,

घ) जेंडर के दृष्टिकोण से स्कूलों के पाठ्यक्रम की समीक्षा करना, शिक्षकों को इस विषय में प्रशिक्षित और संवेदित करना और युवाओं में जेण्डर समानता का मूल्य संचारित करने वाले पाठ्यक्रमों को पढ़ाने की व्यवस्था करना,

ङ) सीआरसी और सीडॉ जिन पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किये हैं, के प्रावधानों को ठीक से लागू करना।

च) राज्य सरकार की सभी नीतियों और योजनाओं की जेण्डर समानता के दृष्टिकोण से समीक्षा हो।

छ) घटते लिंग अनुपात को रोकने के लिए अन्य राज्यों द्वारा उठाए गये कदमों का अध्ययन और मूल्यांकन हो और प्रभावी उपायों को अपनाया जाये।

ज) महिला मुद्दों से सम्बन्धित कानूनों का मूल्यांकन और समीक्षा हो तथा उनका महिला अधिकारों और सशक्तिकरण के हित में संशोधन हो।

झ) शीघ्र, सस्ते और जेण्डर-सम्वेदित न्याय को उच्च प्राथमिकता दे कर उपलब्ध कराना।

ञ) नीतियों और उनके क्रियान्वयन की कार्य योजना हेतु विकास में संबंधित हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

बोये जाते हैं बेटे, उग आती हैं बेटियां।
खाद पानी बेटों में, लहलहाती हैं बेटियां।

ऐवरेस्ट की ऊंचाइयों तक ठेले जाते हैं बेटे, चढ़ जाती हैं बेटियां।
कई तरह गिरते हैं बेटे, संभाल लेती हैं बेटियां।

सुख के स्वप्न दिखाते बेटे, जीवन के यथार्थ बेटियां।
रुलाते हैं बेटे और रोती हैं बेटियां।

जीवन तो बेटों का है, मर मिटती हैं बेटियां।

- नन्द किशोर हटवाल

India Sex Ratio (0-6 Years) – Census 2011

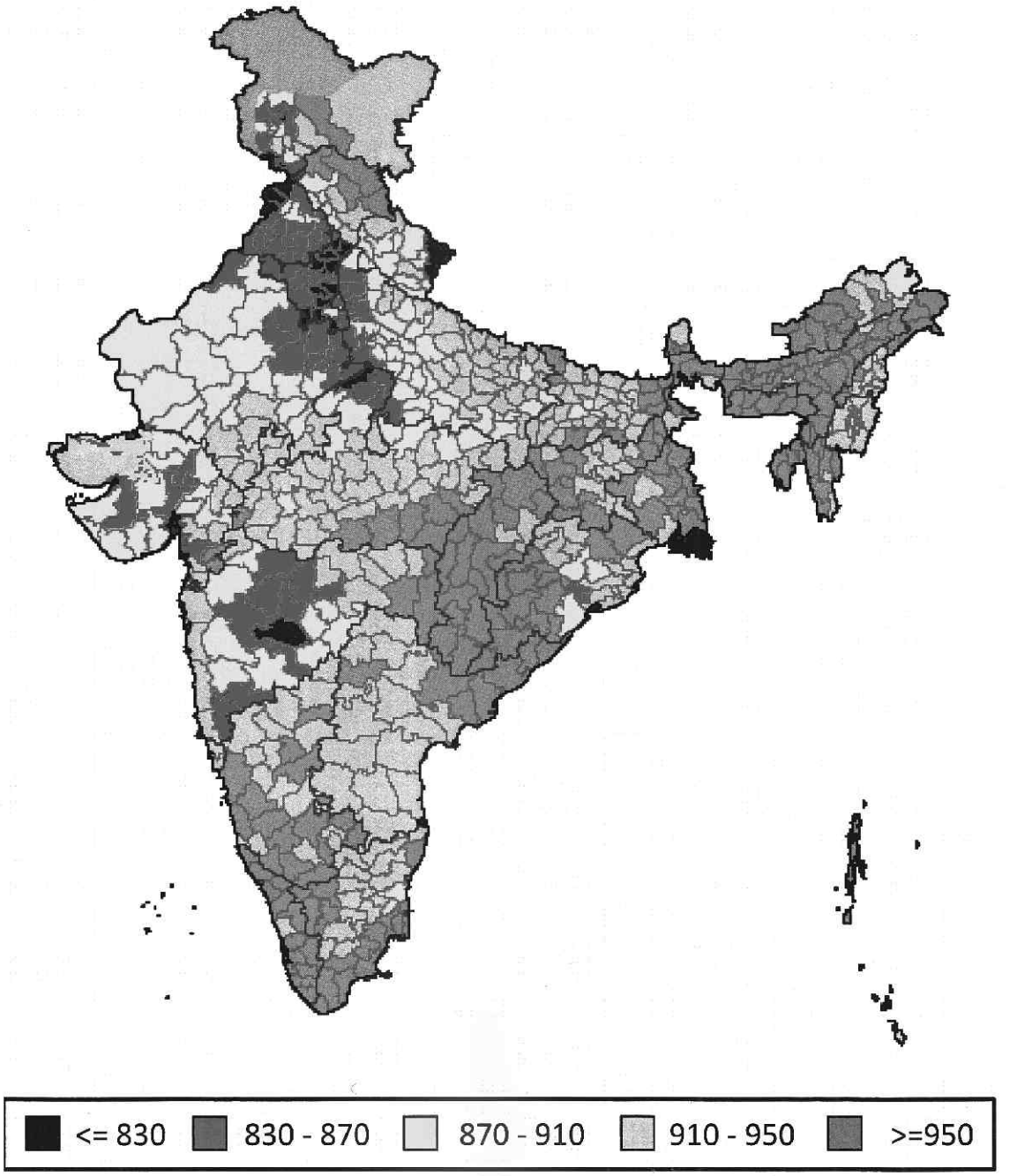

एक्शनएड 1972 से भारत में गरीबों के साथ काम कर रहा है। हमारा लक्ष्य गरीबी को खत्म करना है। हम जानते हैं कि सही अवसर मिलने पर गरीब लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही निकाल लेंगे।

एक्शनएड गरीबों और अशक्त लोगों के साथ 1972 से काम कर रहा है। हम भारत के 24 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश में 8 करोड़ लोगों के साथ काम करते हैं। हम गरीबी, असमानता और अन्याय के खिलाफ स्थानीय गैर–सरकारी संगठनो, समुदाय आधारित संगठनों और जन आंदोलनों के साथ मिलकर सामूहिक पहल करते हैं।

हमारा काम भारत के सबसे अधिक वंचित समुदायों, दलित, मूल निवासी, ग्रामीण व शहरी गरीब, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों जैसे के अधिकारों पर केन्द्रित है। इन समुदायों का संसाधनों, सेवाओं, तथा संस्थानों तक पहुंच और नियंत्रण नहीं है।

हम अभिवंचित परिस्थितियों जैसे चिरकालिक भूख, विकलांगता, पलायन, बंधुआ मजदूर, बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, शहरों में आश्रय विहीन और वो लोग जिनकी भूमि या आजीविका खतरे में है ऐसे लोगो पर विशेष ध्यान देते हैं। हम उन महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों के साथ भी काम करते हैं जो तस्करी का शिकार हैं तथा विस्थापित हैं या प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं से पीड़ित हैं।

ActionAid India has been working with poor people in India since 1972. Our goal is to end poverty. We know that with the right opportunities, poor people will find their own solutions and build new lives.

ActionAid has been working with poor and disempowered people in India since 1972. We work in 24 states and one Union Territory reaching out to over 8 million people. We partner local NGOs, community based organizations and people's movements to collectively address poverty, inequality and injustice.

Our focus is on the rights of India's most marginalized communities: Dalit and indigenous people, rural and urban poor, women, children and minorities. These groups face an acute lack of access to and control over resources, services, and institutions.

We pay special attention to those in vulnerable situations such as people living with chronic hunger, disability, migrant and bonded workers, children who are out of school, city dwellers without a home, and people whose land or livelihood is under threat. We also work with women, men, girls, and boys who have been trafficked, displaced, or hit by natural and human-made disasters.

actionaid

Lucknow Regional Office

3/545, IInd Floor, Sai Plaza Building, Vivek Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Telephone: (0522) 4113494, 4113495, 4113499

India Country Office:
R-7, Hauz Khas Enclave,
New Delhi-110016,
Tel: +91-11-40640500
Fax: +91-11-41641891

International head office:
Post Net Suit #248, Private Bag X 31,
Saxonwold 2132, Johannesburg
South Africa. http//www.actionaid.org

Website: http//www.actionaid.org/india